न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 101/2022

प्रार्थी

1. बीरबलराम
2. किशनाराम
3. ठाकरराम पिसरान स्व0 रामचन्द्र जातिगण विश्नोई निवासीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।
4. धनी पत्नि स्व0 गंगाराम विश्नोई
5. मांगीलाल
6. हरिराम
7. भगवानराम पिसरान स्व0 गंगाराम जातिगण विश्नोई निवासीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।
8. रामेश्वरी
9. रूकी उर्फ रूखमन
10. कौशल्या पुत्रीयान स्व0 गंगाराम जातिगण विश्नोई निवासीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
2. बरतुदेवी पत्नि स्व0 पप्पुराम
3. बाबुलाल
4. भंवरलाल पिसरान स्व0 कानाराम
5. राजेन्द्र पुत्र हरिराम
6. मांगीलाल पुत्र स्व0 जांवताराम
7. हरलाल पुत्र स्व0 जांवताराम
8. ओमाराम पुत्र स्व0 पनाराम
9. जीवी पत्नि भाकरराम
10. नेनाराम
11. बुधाराम
12. लादुराम पिसरान स्व0 भाकरराम
13. नथमल
14. पुखराज पिसरान स्व0 भागीरथराम
15. बाबुलाल पुत्र स्व0 कानाराम जातिगण विश्नोई निवासीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री आनन्द भाटी, श्री मानवेन्द्र भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्रीमती नीलम सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 15 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम भाणिया तह0 सोजत के निवासी है। सरहद मौजा ग्राम लाणेरा पटवार हल्का लाणेरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत में प्रार्थीगण सं0 01 से 03 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 408, 408/2 से 408/9 कुल 10 खसरा रकबा 12.2900 है0 तथा प्रार्थीगण सं0 4 से 10 की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा लाणेरा तह0 सोजत के ख.नं. 410 रकबा 6.9000 है0 की स्थित है, जो सरहद मौजा भाणिया के ख.नं. 436, 448 से 451, 451/1, 452/1 व सरहद मौजा लाणेरा के ख.नं. 406 की सीमाओं से घिरा हुआ हैं। सरहद मौजा भाणिया के ख.नं. 436 रकबा 2.91 है0, ख.नं. 448 रकबा 2.50 है0, ख.नं. 449 रकबा 2.47 है0, ख.नं. 450 रकबा 2.37 है0, ख0नं0 451 रकबा 3.7050 है0, ख.नं. 451/1 रकबा 3.62 है0 तथा ख.नं. 452/1 रकबा 3.50 है0 जो अप्रार्थीगण सं0 2 से 14 की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा सरहद मौजा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

के ख.नं. 406 रकबा 3.07 है0, जो अप्रार्थी सं0 15 की खातेदारी की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 408, 408/2 से 408/9, 410 में पंहुच हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा भाणिया के ख.नं. 436, 448 से 451, 451/1, 452/1 तथा सरहद मौजा लाणेरा के ख.नं. 410 मे से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। जिसमें प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु व रास्ता का राजस्व रेकर्ड में तरमीम हेतु प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ते की चौडाई 20 फीट मान कर प्रस्ताव तैयार किया गया है जो वर्तमान मे रास्ता कदीम से प्रचलित है, लेकिन राजस्व रेकर्ड व ट्रैस नक्शे में दर्शाया हुआ नहीं है जिसे दर्शाना न्यायहित में आवश्यक है। खसरा नंबर 436 के पडौस में डामर की सड़क पहले से स्थित है जहाँ से खसरा नबंर 408/7 व खसरा नबंर 410 तक पहुँचने के लिए राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किया हुआ नही हैं प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए विकल्प मे कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नबंर 408/7, 408, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/8, 408/9 व खसरा नंबर 410 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नबंर 436, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452/1 सरहद मौजा भाणिया व खसरा नबंर 406 सरहद मौजा लाणेरा में से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र पेश कर सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नबंर 408/7, 408, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6,408/8, 408/9 व खसरा नबंर 410 पर पहुँचने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की खसराजात की कृषि भूमि खसरा नबंरान 436, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452/1 सरहद मौजा भाणिया व खसरा नबंर 406 सरहद मौजा लाणेरा में से दिलाया जावे एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 से 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 07, 11, 15 की ओर से पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1677

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

05.11.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चौपड़ा, द्वारा तैयार फर्द का रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि वर्तमान मौके पर मौजूद रास्ता ग्राम भाणिया की सरहद के ख.नं. 436 के खातेदार बस्तुदेवी पत्नि पप्पुराम विश्नोई की 353 वर्गमीटर, ख.नं. 448 के खातेदार बाबूलाल, भंवरलाल पि0 कानाराम विश्नोई की 252 वर्गमीटर, ख.नं. 448 के खातेदार राजेन्द्र पुत्र हरीराम विश्नोई की 126 वर्गमीटर, ख.नं. 449 के खातेदार मांगीलाल पुत्र जांवताराम विश्नोई की 293 वर्गमीटर, ख.नं. 450 के खातेदार हरलाल पुत्र जावंताराम विश्नोई की 342 वर्गमीटर, ख.नं. 451 के खातेदार ओमाराम पुत्र पनाराम की 366 वर्गमीटर, ख.नं. 451/1 के खातेदार जीवी पत्नि भाकरराम, नेनाराम, बुधाराम, लादूराम पि0 भाकरराम विश्नोई की 330 वर्गमीटर एवं ख.नं. 452/1 के खातेदार नथमल, पुखराज पि0 भागीराथराम विश्नोई की 616 वर्गमीटर भूमि 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रस्तावित है, जो कि मौके पर विद्यमान हैं। ग्राम लाणेरा के ख.नं. 406 के खातेदार बाबूलाल पुत्र कानाराम विश्नोई की ग्राम भाणिया की सरहद में 1707 वर्गमीटर भूमि 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रस्तावित है, जो कि मौके पर विद्यमान हैं। उक्त 'एबी' की दूरी 200 मीटर है, जो प्रार्थीगण के खातेदारी से हुणगांव जाने वाले रास्ते से नजदीक दूरी पर है तथा उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं हैं, की रिपोर्ट पेश की। जो सा0मि0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 128686/– रूपये प्रति हैक्टर है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नबंर 408/7, 408, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6,408/8, 408/9 व खसरा नबंर 410 पर पहुँचने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की खसराजात की कृषि भूमि खसरा नबंरान 436, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452/1 सरहद मौजा भाणिया व खसरा नबंर 406 सरहद मौजा लाणेरा में से दिलाया जावे एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की भूमि लाणेरा की सरहद में है तथा प्रार्थीगण भाणिया की सरहद में स्थित खसरान से होकर रास्ता चाहते हैं। प्रार्थीगण के खसरान से निकटतम रेकर्डेड रास्ता लाणेरा में ख.नं. 430 लाणेरा से हूणगांव रास्ता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

...क आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है ...2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, ...चने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चौपड़ा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 'एबी' से होकर ख.नं. 430 से मिलता है, लेकिन मौके पर रास्ता विद्यमान नहीं होने से प्रस्तावित रास्ता जो मौके पर मौजूद है, वह खसरा नं0 436, 448 से 451, 451/1, 452/1 सरहद मौजा भाणिया तथा ख.नं. 406 सरहद मौजा लाणेरा से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा लाणेरा के खसरा नबंर 408/7, 408, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6,408/8, 408/9 व खसरा नबंर 410 पर पहुँचने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की खसराजात की कृषि भूमि खसरा नबंरान 436, 448, 449, 450, 451, 451/1, 452/1 सरहद मौजा भाणिया व खसरा नबंर 406 सरहद मौजा लाणेरा में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (128686/–रू0 × 2 × 0.4385 है0 = 112857.57/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क0 सं0	ख0नं0 व किरम	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

	बा0अ0	2.9100 है0	बरतुदेवी पत्नि पप्पुराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार	0.0353 है0	9085.23 /–रू
02.	448 बा0अ0	2.5000 है0	बाबुलाल पुत्र कानाराम हि0 1/3 भंवरलाल पुत्र कानाराम हि0 1/3 राजेन्द्र विश्नोई पुत्र हरिराम 1/3 जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार	0.0126 है0 0.0126 है0 0.0126 है0	3242.88 /–रू प्रति खातेदार
03	449 बा0अ0	2.4700 है0	मांगीलाल पुत्र जांवताराम हिस्सा–पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राजोला कलां	0.0293 है0	7540.99 /–रू
04	450 बा0अ0	2.3700 है0	हरलाल पुत्र जांवताराम हिस्सा–पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राजोला कलां	0.0342 है0	8802.12 /–रू
05	451 बा0अ0	3.7050 है0	ओमाराम पुत्र पनाराम हिस्सा–पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	0.0366 है0	9419.81 /–रू
06	451/1 बा0अ0	3.6200 है0	जीवी पत्नि भाकरराम हि0 1/4 नेनाराम पुत्र भाकरराम हि0 1/4 बुधाराम पुत्र भाकरराम हि0 1/4 लादुराम पुत्र भाकरराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राजोला कलां	0.0330 है0	2123.31 /–रू प्रति खातेदार
07	452/1 बा0अ0	3.5000 है0	नथमल पुत्र भागीरथराम हि0 1/2 पुखराम पुत्र भागीरथराम हि0 1/2 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	0.0616 है0	7927.05 /–रू प्रति खातेदार
08	406 बा0दो0	3.0700 है0	बाबुलाल पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा0 भाणिया खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राजोला कलां	0.1707 है0	43933.40 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

...मार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य ... जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णयआज दिनांक 13/02/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत